डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

मंगल पुत्र मूली उम्र 65 साल जाति जोगी निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————— वादी

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राज. तामील जरिये जिला कलक्टर करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन
3. सब रजिस्ट्रार ऑफ डोक्यूमैन्ट हिण्डौन सिटी ————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा — मुकदमा नं0 122/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संजय शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2749 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0 में से रकबा 0.75 है0 भूमि खसरा नम्बर 2749 के लगमा वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ का वादी मंगल पुत्र मूली जाति जोगी निवासी भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली को खा[illegible] किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। तह[illegible]दार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरा[illegible] करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि [illegible] आराजीयात खसरा नम्बर 2749 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0 में से रकबा 0.75 है0 भूमि खसरा नम्बर 2749 के लगमा वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:05:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मजाहत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.3.2022 को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:05:2
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 122/2014 — तारीख रजू:– 09.10.2014

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

मंगल पुत्र मूली उम्र 65 साल जाति जोगी निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————— वादी

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राज. तामील जरिये जिला कलक्टर करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन
3. सब रजिस्ट्रार ऑफ डोक्यूमैन्ट हिण्डौन सिटी ———— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी
इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री संजय शर्मा एडवोकेट वादी
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ

निर्णय

दिनांक :– 15-2-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि मुताबिक खसरा नम्बर 2113 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा [illegible] बीघा वारानी 3 वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन वादी को दिनांक 10.10.75 को आवंटित की गयी है। तब से वादी विवादित भूमि को लगातार रूप से काश्त करता है। इस प्रकार वादी विवादित भूमि का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:05:26
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त भूमि मुतजिका मद नं01 उबड–खाबड भूमि थी, जिसे वादी ने अपने धन तथा श्रम से काफी सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। जिसे वादी ने चारों तरफ से डौल मेंड कर एक चक बना रखा है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी को उक्त भूमि आवंटित करने के बाद राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के हक में खातेदारी दर्ज कर दी है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2035–38 वादी के हक में दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्बत् 2032–40 वादी के हक में दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि भू–प्रबन्ध अधिकारीगण ने उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 2113 तथा 2114 के नवीन खसरा नम्बर 2717 तथा 2749 कायम किये हैं जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादी की उक्त खातेदारी की भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र को रेवन्यू अधिकारीगण एवं भू–प्रबन्ध अधिकारीगण ने वादी को बिना सुने चपचाप एविजसटिंग इन्द्राज में हेरा–फेरी करते हुए अवैध रूप से सरकारी सिवायचक दर्ज कर दिया है तथा वादी से हर साल सन् 1967 व इसके आस पास से पेनल्टी लेना शुरू कर दिया है। रेवन्यू अधिकारीगण वादी से हाल साल पैनल्टी लेते हैं। हजारों रूपये पेनल्टी के वसूल कर लिये हैं। जिनकी रसीदात पेश हैं।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि वादी विवादित भूमि मुतजिका मद नं01 तथा 4 को वयोम अलोटमेन्ट दिनांक 16.10.1975 से लगातार रूप से काश्त करता चला आ रहा है तथा हर साल दो फसल काश्त करता है। राजस्व लगान मय पैनल्टी के वादी ही अदा करता है। गत वर्ष आषाढ सम्बत् 2071 में वादी ने बाजरा की फसल काश्त की थी अब स[illegible] कर दी है। इस प्रकार लौंग टर्म पजेशन तथा कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को विवादित भूमि बाबत् खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:05:26
Reason: SelfAttested

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि मुतजि[illegible] मद नं01 वाद पत्र को वादी को बिना सुने राजस्व अधिकारीगण द्वारा बिना म्यूटेशन प्रकिया अपनाये सरकारी सिवायचक कर दिया है। जिससे वादी के हक,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हकूकों पर कुठाराघात होता है। वादी गरीब आदमी है। दिनांक 07.10.2014 को वादी ने प्रतिवादी सं02 तहसीलदार हिण्डौन से विनम्र शब्दों में कहा कि मेरी अलोटेड भूमि को सिवायचक से खातेदारी में करो। पैनल्टी मत लो। तो प्रतिवादी नं02 ने स्पष्ट कह दिया कि जो पैनल्टी लगेगी, उसे जमा कराओ, अन्यथा बेदखल कर देंगे। इसलिए दावा हाजा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा दायर करना लाजिम आया।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सरकार के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का दफा 80 जा0दी0 का नोटिस देना पडता है। लेकिन प्रतिवादीगण वादी को तत्काल ही बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए दफा 80 (2) जा0दी0 की प्रक्रिया से डिसपेंन्सविथ करने की इजाजत की दरख्वास्त देकर दावा हाजा पेश है।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि विनाय दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 07.10.2014 को प्रतिवादी सं02 द्वारा वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने की ऐलानियॉ धमकी देने से तथा अत्यधिक पैनल्टी राशि वसूलने की धमकी देने से वमुकाम भुकरावली तहसील हिण्डौन पैदा हुई। इसलिए दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर वादी को विवादित भूमि नवीन खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0, 2749 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण ना तो स्वंय और ना ही अपनी एक्जीक्यूटिव फोर्स से विवादित भूमि खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0, 2749 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन के किसी भी भाग से वादी को बेदखल ना [illegible] वादी से पेनल्टी बसूल ना करें। विवादित भूमि को वादी [illegible] करते रहने देवें। ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे हकूक वादी पर विपरीत प्रभाव पडे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 21.01.2016 को प्रतिवादी सं03 उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:05:26
Reason: SelfAttested

विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 1,2 की ओर से तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित आये। प्रतिवादी सं01,2 की ओर तहसीलदार हिण्डौन ने जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नम्बर 01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 में वर्णित तथ्य पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार स्वीकार हैं।

जबावदावा के मद नम्बर 02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02 जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं।

जबावदावा के मद नम्बर 03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 3 स्वीकार है। आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2113/4 रकवा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114/2 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 5 बीघा वाके ग्राम भुकरावली जमाबन्दी सं0 2035 से 38 में मंगल पुत्र मूली जोगी सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा गिरदावरी सं0 2036 से 40 तक में मंगल पुत्र मूली जोगी गैरखातेदार दर्ज है तथा काश्त होना दर्ज है।

जबावदावा के मद नम्बर 04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं04 मुताविक राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल के अनुसार स्वीकार है ।

जबावदावा के मद नम्बर 05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं05 आंशिक रूप से स्वीकार हैं। उक्त भूमि वर्तमान में सिवायचक है तथा नियमानुसार धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर पेनल्टी वसूल की जा रही है। जिसकी रसीदें वादी द्वारा पेश की गई हैं। जो माननीय न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं। सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा हुई गलती की दुरूस्ती कराने हेतु उसे वाद को स्वंय साबित करना है।

जबावदावा के मद नम्बर 06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं06 आंशिक रूप से स्वीकार हैं। वादी अलोटमेन्ट दिनांक [illegible]6.10.1975 के बाद से उक्त भूमि पर काजिब काश्त तथा सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा की गई [illegible] दुरूस्ती कराने बाबत् स्वंय वादी ही साबित करेगा।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:05:26
Reason: SelfAttested

जबावदावा के मद नम्बर 07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं07 आंशिक रूप से स्वीकार है। मुतजिका मद नं01 में वर्णित आराजीयात को दौराने सेटिलमेन्ट, सेटिलमेन्ट कर्मचारियों के द्वारा की गई गलती की दुरूस्ती कराना एवं उसे साबित करना वादी का दायित्व है। दिनांक 07.10.2014 की घटना गलत दर्ज की है।

जबावदावा के मद नम्बर 08 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 8 अस्वीकार हैं। वादी ने दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादीगण सं01 व 2 को दफा 80 सीपीसी के तहत नोटिस नहीं दिया है। बल्कि सीधे ही दावा माननीय न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है। जो चलने योग्य नहीं है।

जबावदावा के मद नम्बर 09 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं09 अस्वीकार हैं। दिनांक 07.10.2014 की घटना कपोल कल्पित अंकित की है। वादी ने दावा मियाद बाहर पेश किया है।

जबावदावा के मद नम्बर 10,11 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं0 10,11 कानूनी है।

जबावदावा के मद नम्बर 12 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 12 के बिन्दू (अ) में साबिक आराजी खसरा नम्बर 2113 रकवा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा से दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 2717 रकवा 1.78 है0, 2749 रकवा 0.50 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन सिटी में से 1.25 है0 का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराने की रिलीफ चाहता है। जो कानूनी है। विवादित आराजीयात वर्तमान में सिवायचक भूमि राज्य सरकार की है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का मेरी अधिकारी नहीं है।

अतः जबाव वाद पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2062–65 प्रदर्श–1, असल पट्टा कमांक 480 दिनांक 16.10.1975 मंगल पुत्र मूली जाति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:05:26
Reason: SelfAttested

जोगी निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन आराजी खसरा नम्बर 2113 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2036–39 प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2040 प्रदर्श–6, न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन जारी असल नोटिस सम्बत् 2068 का प्रदर्श–7, संम्बत 2067 का प्रदर्श–8, सम्बत् 2068 प्रदर्श 9, सम्बत् 2069 प्रदर्श 10, पेनल्टी रसीद दिनांक 13.02.2012 प्रदर्श 11, पेनल्टी रसीद दिनांक 28.03.2013 प्रदर्श 12, पेनल्टी रसीद दिनांक 15.07.1992 प्रदर्श 13, पेनल्टी रसीद दिनांक 09.02.85 प्रदर्श 14, पेनल्टी रसीद दिनांक 01.03.2014 प्रदर्श 15, पेनल्टी रसीद दिनांक 29.03.2011 प्रदर्श 16, पेनल्टी रसीद दिनांक 20.01.1993 प्रदर्श 17, पेनल्टी रसीद दिनांक 25.03.2014 प्रदर्श 18, पेनल्टी रसीद दिनांक 27.03.2012 प्रदर्श 19, पेनल्टी रसीद दिनांक 17.03.1990प्रदर्श 20,पेनल्टी रसीद दिनांक 15.02.2013 प्रदर्श 21, पेनल्टी रसीद दिनांक 10.02.2014 प्रदर्श 22, पेनल्टी रसीद दिनांक 26.03.2014 प्रदर्श 23, पेनल्टी रसीद दिनांक 20.06.1996 प्रदर्श 24, पेनल्टी रसीद दिनांक 01.09.1991 प्रदर्श 25, पेनल्टी रसीद दिनांक 26.03.2014 प्रदर्श 26, नकल सेटिलमेन्ट खतौनी पेश की है तथा जुवानी सहादत में वादी मंगल पुत्र मूली जोगी निवासी भुकरावली पी0डब्लू01,परसराम पुत्र दुर्गा जाति जाटव निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन पी0डब्लू02 पेश किये है।

वकील वादी एवं प्रतिवादी सं01,2 की ओर से पेरोकार सरकार नायवतहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादी सं01,2 की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार सूरौठ ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 2113 रकवा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा से दौरान सेटिलमेन्ट कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 2717 रकवा 1.78 है0, 2749

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:05:26
Reason: SelfAttested

रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन सिटी में से 1.25 है0 का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराने की रिलीफ चाहता है। जो कानूनी है। विवादित आराजीयात वर्तमान में सिवायचक भूमि राज्य सरकार की है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वादी अधिकारी नहीं है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत असल पट्टा कमांक 480 दिनांक 16.10.1975 प्रदर्श–2 के अनुसार मंगल पुत्र मूली जाति जोगी निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन आराजी खसरा नम्बर 2113 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन को आवंटित की गई है।

नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 प्रदर्श– 4 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2113/4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंगल पुत्र मूला जाति जोगी सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से हाल खसरा नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
2113 2114	3 बीघा 5 बिस्वा 3 बीघा 1 बिस्वा	2717	1.78 हैक्टेयर
2114	3 बीघा 1 बिस्वा	2749	0.50 हैक्टे

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:05:2
Reason: SelfAttested

नकल सेटिलमेन्ट खतौनी के अनुसार विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0, 2749 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन की खातेदारी राजस्थान सरकार सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2062–65 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0, 2749 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ की खातेदारी राजस्थान सरकार सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2036–39 प्रदर्श–5 व 6 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2113/4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में मंगल पुत्र मूली जोगी सा0देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन जारी असल नोटिस सम्बत् 2068 का प्रदर्श–7, संम्बत 2067 का प्रदर्श–8, सम्बत् 2068 प्रदर्श 9, सम्बत् 2069 प्रदर्श 10, पेनल्टी रसीद दिनांक 13.02.2012 प्रदर्श 11, पेनल्टी रसीद दिनांक 28.03.2013 प्रदर्श 12, पेनल्टी रसीद दिनांक 15.07.1992 प्रदर्श 13, पेनल्टी रसीद दिनांक 09.02.85 प्रदर्श 14, पेनल्टी रसीद दिनांक 01.03.2014 प्रदर्श 15, पेनल्टी रसीद दिनांक 29.03.2011 प्रदर्श 16, पेनल्टी रसीद दिनांक 20.01.1993 प्रदर्श 17, पेनल्टी रसीद दिनांक 25.03.2014 प्रदर्श 18, पेनल्टी रसीद दिनांक 27.03.2012 प्रदर्श 19, पेनल्टी रसीद दिनांक 17.03.1990प्रदर्श 20,पेनल्टी रसीद दिनांक 15.02.2013 प्रदर्श 21, पेनल्टी रसीद दिनांक 10.02.2014 प्रदर्श 22, पेनल्टी रसीद दिनांक 26.03.2014 प्रदर्श 23, पेनल्टी रसीद दिनांक 20.06.1996 प्रदर्श 24, पेनल्टी रसीद दिनांक 01.09.1991 प्रदर्श 25, पेनल्टी रसीद दिनांक 26.03.2014 प्रदर्श 26 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजीयात कुल रकबा 5 बीघा पर अलोटमेन्ट के दिन से लगातार काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:05:26
Reason: SelfAttested

वादी ने अपने दावे की ताईद के समर्थन में स्वयं वादी ने [illegible] बयान बाबत् शपथ पत्र पेश किया हैं तथा बयान के [illegible] पत्र में वर्णित तथ्यों का अंकन किया है तथा स्वतंत्र गवाह परसराम पु[illegible] दुर्गा जाति जाटव निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन के बयान बाबत प्रस्तुत शपथ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पत्र में अंकित किया है कि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 2113 व 2114 के हाल खसरा नम्बर 2717 व 2749 वाके ग्राम भुकरावली तथा वादी मंगल को मैं जानता हूँ। उक्त भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ मेरे खेत हैं। जिनमें मैं काश्तकारी का कार्य करता हूँ। जब से मैने होश संभाला है तब से मैं देखता आ रहा हूँ। उक्त भूमियों को वादी मंगल व उसके परिजन ही लगातार रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। अन्य कोई उक्त भूमियों को काश्त नहीं करता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि दिनांक 16.10.1975 को मंगल पुत्र मूली जाति जोगी निवासी भुकरावली तहसील हिण्डौन को आराजी खसरा नम्बर 2113 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन आवंटित की गई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में भी अमल हो चुका था तथा जमाबन्दी सं0 2035–38 प्रदर्श– 4 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2113/4 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114/2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंगल पुत्र मूला जाति जोगी सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। किन्तु दौराने सेटिलमेन्ट उक्त आराजीयात के नवीन खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0, 2749 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ कायम करते हुए खातेदारी वांदी के स्थान पर राजस्थान सरकार सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। जिसकी दुरूस्ती वादी कराना चाहता है तथा खातेदारी अपने नाम खातेदारी कराना चाहता है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबावदावा में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2113/4 रकवा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114/2 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 5 बीघा वाके ग्राम भुकरावली जमाबन्दी सं0 2035 से 38 में मंगल पुत्र मूली जोगी सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा गिरदावरी सं0 2036 से 40 तक में मंगल पुत्र मूली जोगी गैरखातेदार दर्ज है [illegible] होना दर्ज है। जबावदावा के मद नम्बर 04 में दर्ज [illegible] नं04 मुताविक राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल के अनुसार स्वीकार है [illegible] सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक नम्बरान के जो नये नम्बर कायम किये [illegible] हैं वह बिल्कुल सही हैं। उक्त भूमि वर्तमान में सिवायचक है तथा नियमानुसार धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:05:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर पेनल्टी वसूल की जा रही है। जिसकी रसीदें वादी द्वारा पेश की गई हैं। जो माननीय न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हैं। सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा हुई गलती की दुरूस्ती कराने हेतु उसे वाद को स्वंय साबित करना है। वादी अलोटमेन्ट दिनांक 16.10.1975 के बाद से उक्त भूमि पर काजिब काश्त तथा सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती की दुरूस्ती कराने बाबत् स्वंय वादी ही साबित करेगा। मुतजिका मद नं01 में वर्णित आराजीयात को दौराने सेटिलमेन्ट, सेटिलमेन्ट कर्मचारियों के द्वारा की गई गलती की दुरूस्ती कराना एवं उसे साबित करना वादी का दायित्व है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 2113 रकवा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114 रकवा 2 बीघा 6 बिस्वा से दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये नवीन खसरा नम्बर 2717 रकवा 1.78 है0, 2749 रकवा 0.50 है0 वाके ग्राम भुकरावली तहसील हिण्डौन सिटी में से 1.25 है0 का राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराने की रिलीफ चाहता है। जो कानूनी है। विवादित आराजीयात वर्तमान में सिवायचक भूमि राज्य सरकार की है। अर्थात प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबावदावा में उक्त विवादित आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है बल्कि उनके जबावदावा से उनकी सहमति स्पष्ट साबित होती है। वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर वादी सेटिलमेन्ट विभाग के द्वारा की गई गलती की दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित होता है। वादी के द्वारा पेश किये गये उपरोक्त दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह भली भॉति स्पष्ट हो चुका है कि वादी अपनी खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 2113 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 2114 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा ग्राम भुकरावली के अनुसार विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0 में से रकबा 0.75 है0 तथा खसरा नंबर 2749 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ की खातेदारी [illegible] सरकार सिवायचक के स्थान पर वादी अपने हक में खातेदारी कराने का [illegible] रूपेण अधिकारी साबित हो चुका है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् [illegible] खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री योग्य न्यायोचित [illegible] होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Andop
Date: 2022.06.08 16:05:2
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2749 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0 में से रकबा 0.75 है0 भूमि खसरा नम्बर 2749 के लगमा वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ का वादी मंगल पुत्र मूली जाति जोगी निवासी भुकरावली तहसील सूरौठ जिला करौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 2749 रकबा 0.50 है0 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 2717 रकबा 1.78 है0 में से रकबा 0.75 है0 भूमि खसरा नम्बर 2749 के लगमा वाके ग्राम भुकरावली तहसील सूरौठ में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Sing
Date: 2022.06.08 16:05:26 IST
Reason: SelfAttested